(131)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 75–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–12–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र जिला धार, प्रकरण कमांक 121/अपील/2013–14.

.....

1–श्रीमती साईदा बाई पति स्व0ज्ञानचन्द
2–घमंडी पिता स्व0ज्ञानचन्द
3–आनंदीलाल पिता स्व0ज्ञानचन्द
निवासीयान बलवारीकला तहसील गंधवानी
जिला धार

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–कन्हैयालाल फौत वारिसान :–
अ–मयंक पिता स्व0कन्हैयालाल
ब–सुनील पिता स्व0कन्हैयालाल
स–अनील पिता स्व0कन्हैयालाल
सभी निवासीयान गंधवानी तहसील गंधवानी
जिला धार

..... अनावेदकगण

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 26/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–1–1992 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अपील/2010–11 दर्ज कर दिनांक 13–1–14 को आदेश पारित किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन भूमि सभी वैध वारिसो के नाम 1/3 – 1/3 भाग पर नामान्तरण किये जाने के निर्देश तहसील न्यायालय को दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करने पर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–12–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 26/अ–6/13–14 में प्रचलित कार्यवाही 30 दिन के लिये स्थगित की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 32 के प्रावधानों को समझे बगैर अनावेदकगण के आवेदन पत्र पर गुणदोष पर पुनः सुनवाई करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरनिहित शक्तियों का प्रयोग राजस्व न्यायालय द्वारा तभी किया जा सकता है जब उनके समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जिनके संबंध में प्रकिया या कार्यप्रणाली संहिता में नहीं दिया गया हो, जबकि उनके द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता में दिये गये नियमों पर व प्रावधानों पर बिना विचार किये प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1967 आर.एन. 498 एवं 1981 आर.एन. 78 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं ।

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–14 में हुयी त्रुटि को संशोधित करने हेतु अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–1–14 को आवेदन पत्र ग्राह्य कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकरी के आदेश का पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किया जा सकता था । इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करने के कारण अनावेदक गण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर स्थगन देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है।

(2) चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना अनावेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये आदेश पारित किया गया था । अतः इस वैधानिक त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु अनावेदकगण की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है । इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है।

(3) आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । जिस आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगित किया गया है वह आदेश अभी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, ऐसी

स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य इस निगरानी में परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–12–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर